



Neutral Citation No - 2026:AHC:35899

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4259

रवि शंकर गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कमला शंकर पाठक

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देशित करने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, प्रयागराज निजी प्रतिवादियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करें।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, प्रयागराज तथा प्रतिवादी संख्या 7/प्रधान, ग्राम सभा, कोकसड, तहसील करछना, जिला प्रयागराज के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु आज पर्यन्त कोई कार्यवाही नहीं की गई, अतः वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अभिलेख के परिशीलन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित अनुतोष निजी प्रतिवादियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के विरुद्ध है।

5. अभिलेख एवं रिट याचिका में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 के विरुद्ध अनुतोष चाह रहा है, जो रिट अधिकारिता के अन्तर्गत अनुदत्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और समुचित उपचार साधारण विधि के अन्तर्गत उपलब्ध है।

6. प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, वर्तमान याचिका साधारण विधि के अन्तर्गत उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता सहित खारिज की जाती है, यदि विधिक परामर्श ऐसा हो।

7. इस चरण पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को अनागृहीत के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

8. याचित प्रार्थना अनुमत की जाती है।

9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

10. निबंधक (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी, प्रयागराज को संसूचित करें।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"